


फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत राजस्थान हाईकोर्ट मुकाम Jodhpur
भिवरसिंह बनाम आइडानसिंह
 मुकदमा P नं. 90 दिनांक 2023

रीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

रलीडे प्रस्तुत नही की गई है वाई अधिवक्ता द्वारा एक प्रतियोगिता प्रतियोगिता नोटिस तलबी की रलीडे धा. डूक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय प्राप्त गया। पूर्व में अनेकादेक अकमर के के को भी Reg-AD रलीडे व track report प्रस्तुत नही किया गया है। परन्तु अमानित के अमानित एक अतिरिक्त अवसर प्रस्तुत उक्त रलीडे प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। अन्वेषण वाई अज्ञान तकमील के स्वतः ही व्यक्ति समझा जायेगा। पगावली अपडेट दिनांक 20/2/2024 को पेश हो


 सहायक कोललेक्टर
 (कल्ले डेपू) जोधपुर

20/2/24 पगावली पेश हुई। पगावली मय आइडानसिंह का अवलोकन किया गया। आइडानसिंह के अवलोकन के पर स्पष्ट है कि वाई अधिवक्ता द्वारा लगे समय से अमानित आइडानसिंह की पालन नही की जा रही है। आइडानसिंह दिनांक 22/2/24 के

अनुसार नोटिसेस पेश करने हेतु किता
 8 वर्षों से अनेकाएड श्वरर डिफेंसिबल
 परन्तु आज डिनांड तड जरीफे LyAD जारी
 इफ नोटिसेस की LyAD डाड एलीडे एवं
 track report प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्व
 पेशी पर आपादित में एड अतिम मजबूत
 दिना जमा था वाक्यूड LyAD डाड एलीडे
 एवं track report प्रस्तुत नहीं की गई। मतः
 वाडी तप अपिवस्ता हाए लंबे समय से
 आपालय भंडिरा की पालना न विशेषतः
 पर वाडी का वाड अयम तकमील एवं
 09RS के तहत खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फलल सुमार होकर तब तक
 काम होकर आखिल केतर हो



10/5/20
 सहायक कलक्टर
 (आउट ट्रेक) जयपुर